HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2863/2024

1. Smt. Khushboo Devi W/o Late Vishnu Singh, Aged 30 Years (Wife of Deceased),
2. Vikky S/o Late Shri Vishnu Singh, Aged 9 Years (Son of Deceased),
3. Anshu S/o Late Shri Vishnu Singh, Aged 7 Years (Son of Deceased),

Claimants No.2 & 3 are minors through their natural guardian/mother Smt. Khushboo Devi W/o Late Shri Vishnu Singh, All R/o Village Manchi, Tehsil & Distt. Karauli, Raj.

----Claimants/Appellants

Versus

1. Pooran S/o Khubiram, R/o Khanpur, Thana Salempur, Distt. Dausa. Raj. (Driver Motor Cycle No.RJ-29-SJ-1207).
2. Khubiram S/o Natthiram, R/o Khanpur, Thana Salempur, Distt. Dausa, Raj. (Regd. Owner Motor Cycle No.RJ-29-SJ-1207).
3. United India Insurance Company Limited, Divisional office 1, Ashok Circle, Alwar, Raj, through Divisional Manager, Insurer of Motor Cycle No. RJ-29-SJ-1207.

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Ram Sharna Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Avadesh Kumar Purohit, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

08/05/2026

1. अपीलार्थीगण श्रीमती खुशबू देवी व अन्य द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या–65/2021, श्रीमती खुशबू देवी व अन्य

बनाम पूरण व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, विष्णु सिंह की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 83,00,000/— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थीगण को कुल 5,61,400/— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आदेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी मासिक आय तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दरों के आधार पर 26 दिन की आय 5,850/— रूपये मासिक निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि वक्त घटना मृतक मार्बल व टाईल लगाने का कार्य करके 20,000/— रूपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का एक तर्क मुख्य रूप से यह भी रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कुल क्षतिपूर्ति राशि पर योगदायी उपेक्षा के तहत 50 प्रतिशत की कटौती की जाकर भी त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 04.06.2020 की बताई गयी है तथा क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को

29 वर्ष की आयु का होना बताते हुए मार्बल व टाईल लगाने का कार्य कर 20,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक आय 225/– रूपये प्रतिदिन की दर से 26 दिनों के आधार पर 5,850/– रुपये निर्धारित की गई है। जबकि विद्वान अधिकरण को एक मजदूर श्रेणी के व्यक्ति की 30 दिनों की आय निर्धारित की जानी चाहिए थी। मामले की घटना दिनांक 04.06.2020 की होना जाहिर है। घटना के लगभग एक माह पश्चात दिनांक 01.07.2020 को राजस्थान राज्य में वर्ष 2020 की न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित की गई थी। अतः उक्त नवीन दरों के आधार पर हम वक्त घटना मृतक की आय अकुशल श्रमिक की दैनिक आय के आधार पर 252/– रुपये, तद्नुसार मासिक आय 7,560/– रूपये निर्धारित किया जाना उचित समझते है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी 40 प्रतिशत की गई है, जो उचित है। ऐसी स्थिति में **नेशनल ईंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य**ः रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 7,560/– रुपये पर 40 प्रतिशत अर्थात 3,024/– रूपये की भविष्य–वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 10,584/– रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक पर तीन आश्रित माने जाकर मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटोती के पेटे 1/3 भाग की कटौती की गई है, जो उचित है। 10,584/– रुपये का 1/3 भाग 3,528/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 7,056/– रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्यः (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को

दृष्टिगत रखते हुए 15 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में 15 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जो उचित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 7,056/— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति 7,056 x 12 x 15 = 12,70,000/— रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 3 को कंसोर्टियम की मद में एकमुश्त 40,000/— रूपये की राशि दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

9. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में दी जाने वाली निर्धारित राशि में प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी किये जाने का आदेश दिया गया है। इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।

10. मामले की घटना दिनांक 04.06.2020 की होना जाहिर है। ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी संख्या 1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 44,000/— रूपये तथा अपीलार्थी संख्या 2 व 3 को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में प्रत्येक को 44,000/— रूपये, कुल 1,32,000/— रूपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझती हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/– रुपये तथा सम्पदा की हानि की मद में 15,000/– रूपये की राशि दिलवाई गई है। अतः अंतिम संस्कार तथा सम्पदा की हानि की मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 16,500–16,500/– रुपये, कुल 33,000/– रूपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. हस्तगत मामले में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का एक तर्क मुख्यतः यह रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मामले में मृतक की भी 50 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा मानी जाकर कुल क्षतिपूर्ति राशि में 50 प्रतिशत की कटौती की जाकर त्रुटि कारित की गई है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध आरोप पत्र प्रदर्श–1 तथा प्रस्तुत नक्शामौका प्रदर्श–3 का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से घटना सड़क के बीचों–बीच आमने–सामने की होना तथा उक्त घटना में मृतक विष्णु सिंह व विपक्षी संख्या 1 पूरण सिंह की संयुक्त लापरवाही होना पाया गया है। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में मृतक की जो संयुक्त उपेक्षा मानी जाकर निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में से 50 प्रतिशत की जो कटौती की गई है, वह युक्तियुक्त प्रतीत होती है तथा उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

13. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	12,70,000/– रुपये
2.	कंसोर्टियम के मद में	1,32,000/– रुपये
3.	अंतिम संस्कार के मद में	16,500/– रुपये
4.	सम्पदा की हानि के मद में	16,500/– रुपये
5.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि	14,35,000/– रुपये
6	कुल क्षतिपूर्ति राशि पर 50 प्रतिशत की कटौती पश्चात राशि	7,17,500/– रूपये
7.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	5,61,400/– रुपये
8.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	1,56,100/– रुपये

14. तदनुसार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को 5,61,400/— रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 7,17,500/— रूपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

15. इस निर्णय द्वारा बढाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

16. तद्नुसार उपरोक्त अपील निस्तारित की जाती है।

17. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को लौटाया जावे।

18. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal /76s